AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA ON EXEMPTION FROM VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC PASSPORTS

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

Hereafter referred to singularly as the "Contracting Party" and collectively as the "Contracting Parties"

CONSIDERING the interest of both States to strengthen their friendly relations, and

DESIRING to facilitate the entry of the nationals of the Republic of India and the nationals of the Republic of Latvia, who are holders of diplomatic passports into their respective states,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Visa Exemption

- 1. A national of the State of either Contracting Party, holding a valid diplomatic passport shall be allowed to enter into, exit from and transit through the territory of the State of other Contracting Party through their respective international border crossing points without a visa.
- 2. A national of the State of either Contracting Party, holding a valid diplomatic passport shall be allowed to stay in the territory of the State of the other Contracting Party for the maximum period of ninety (90) days in any 180 day period without a visa.

ARTICLE 2

Visas for Assignments

- 1. A national of the State of either Contracting Party, who is assigned as a member of the diplomatic or consular staff or as representative in an international organization located in the territory of the State of the other Contracting Party and is a holder of a valid diplomatic passport, shall be required to obtain a visa prior to entry into the territory of the State of the other Contracting Party.
- 2. The holders of diplomatic passports of the State of either Contracting Party who are employed by an international organization, body, agency or any other such entity, shall be required to obtain visa prior to their entry into the territory of the State of the other Contracting Party for official or private visits.
- 3. The conditions laid down in paragraph 1 of this Article shall also apply to the family members of a member of the diplomatic Mission or Consulate or representative in international organization.

ARTICLE 3

Refusal of Entry & Loss of Passport

1. Either Contracting Party reserves the right to refuse the entry into or shorten the stay in its territory of any nationals of the State of the other Contracting Party, whom it may consider undesirable.



2. If a national of the State of one Contracting Party, who is a holder of a diplomatic passport, loses the passport in the territory of the State of the other Contracting Party, the diplomatic Mission or Consulate concerned in the host country shall be informed. The diplomatic Mission or Consulate concerned shall issue a new passport or travel document to its national and inform the authorities concerned of the host Government.

ARTICLE 4

Passports Validity

The duration of diplomatic passports of nationals of the State of either Contracting Party shall be valid for at least 6 (Six) months on the date of entry into the territory of the State of the other Contracting party.

ARTICLE 5

Applicability of Local/National Laws

- 1. Nationals of the State of either Contracting Party, being holders of valid diplomatic passports shall abide by the laws and regulations in force in the territory of the State of the other Contracting Party while crossing its frontier and throughout the duration of their stay in its territory.
- 2. Nothing in the Agreement shall be construed as affecting the rights and obligations set out in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April, 1961 or the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April, 1963.

ARTICLE 6

Travel Documents

- 1. For the purposes of this Agreement, Contracting Parties shall exchange through diplomatic channels specimens of its valid diplomatic passports, including a detailed description of such documents currently used, within thirty (30) days after the date of signing of this Agreement.
- Contracting Parties shall exchange through diplomatic channels, specimens of its new or modified passports, including a detailed description of such documents, at least thirty (30) days before they are introduced.

ARTICLE 7

Suspension

Both Contracting Parties reserve the right for reasons of security, public order or public health, to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Agreement, which shall take effect thirty (30) days after a notification has been sent to the

other Contracting Party through diplomatic channels. The suspension shall not affect the rights of nationals who have already entered the territory of the other Contracting Party.

W.

ARTICLE 8

Revision And Amendments

Either Contracting Party may request in writing, through diplomatic channels, an amendment of the whole or part of this Agreement. Any amendment, which has been agreed to by the Contracting Parties, shall enter into force in accordance with procedures stipulated in paragraph 1 of Article 10 and shall form part of this Agreement.

ARTICLE 9

Dispute Settlement

Any difference or dispute arising out of the implementation of the provisions of the Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Contracting Parties without reference to any third party or an international tribunal.

ARTICLE 10

Entry Into Force, Duration And Termination

- This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification through diplomatic channels by which the Contracting Parties notify each other that their internal legal procedures for the entry into force have been fulfilled.
- This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time and may be 2. terminated by either Contracting Party by written notification sent to the other Contracting Party through diplomatic channels. The termination shall take effect ninety (90) days after the date of such notification. The termination shall not affect the rights of nationals who have already entered the territory of the other Contracting Party.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE		RIGA	on	this	23rd	day	of
		in the year two t	housandseven	7884 in	three (3) originals	; each in Hi	ndi,
Latvian and Eng	lish l	anguages, all tex	ts being equall	y authe	ntic. In case of an	y divergence	e of
interpretation, th	e En	glish text shall pr	evail.				

FOR THE GOVERNMENT OF HE REPUBLIC OF INDIA

Name: Designation: FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA

Name: Designation: भारत गणराज्य की सरकार और लात्विया की सरकार के बीच राजनयिक पासपोर्टधारक हेतु वीजा अपेक्षा से छूट पर करार

भारत गणराज्य की सरकार और लात्विया की सरकार, जिन्हें इसके बाद एकल रूप से "संविदाकारी पक्षकार" और संयुक्त रूप से "संविदाकारी पक्षकारों" कहा गया है;

अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ बनाने तथा दोनों देशों के हितों पर विचार करते हुए; और

भारत गणराज्य के राष्ट्रिकों तथा लात्विया गणराज्य के राष्ट्राकों को अपने-अपने देश के राजनियक पासपोर्टधारक नागरिकों का अपने-अपने देश में प्रवेश सुविधाजनक व सरल बनाने की इच्छा से;

निम्नलिखित पर सहमत हुई हैं :-

अनुच्छेद 1

वीजा छूट

- 1. दोनों में से किसी संविदाकारी पक्षकार के किसी राष्ट्रिक को, जिसके साथ वैध राजनयिक, पासपोर्ट हो, बिना वीज़ा के संबंधित देशों के अपने-अपने अंतरराष्ट्रीय प्रवेश/निकास स्थल से दूसरे संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र में प्रवेश करने, उस क्षेत्र से बाहर निकलने और उस क्षेत्र से होकर पारगमन की अनुमति होगी।
- 2. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्षकार के किसी भी राष्ट्रिक, जो वैध राजनयिक पासपोर्टधारक हो, को एक सौ अस्सी (180) दिनों की वीज़ा रहित अविध के दौरान अधिकतम नब्बे (90) दिनों की अविध के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में ठहरने की अनुमित होगी।

अनुच्छेद 2

कार्य हेतु वीजा

- 1. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्षकार राष्ट्र का वैध राजनयिक, पासपोर्टधारक नागरिक, जिन्हें अन्य संविदाकारी पक्षकार के राष्ट्र के भूभाग में राजनयिक मिशन अथवा कौंसुली केंद्र अथवा अंतरराष्ट्रीय संगठन में कार्य सौंपा गया हो, को दूसरे संविदाकारी पक्षकार की सीमा में प्रथम प्रवेश के लिए वीज़ा प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
- 2. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्षकार राष्ट्र के राजनयिक पासपोर्टधारक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, निकास, एजेंसी अथवा अन्य किसी संस्था में नियुक्त हैं, उन्हे सरकारी

अथवा निजी यात्राओं हेतु दूसरे संविदाकारी पक्षकार राष्ट्र के क्षेत्र में प्रवेश से पूर्व वीजा प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रावधान उक्त व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों तथा अभिरक्षकों अथवा आश्रित व्यक्तियों पर लागू होंगे, जो एक वैध राजनयिक, आधिकारिक अथवा सेवा पासपोर्टधारक हैं।

अनुच्छेद 3

प्रवेश से मनाही तथा पासपोर्ट गुम हो जाना

- 1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार दूसरे संविदाकारी पक्षकार के ऐसे वैध राजनयिक, आधिकारिक अथवा सेवा पासपोर्टधारक राष्ट्रिक को प्रवेश देने से मना करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसे वह अवांछित मानता हो।
- 2. यदि दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्षकार राष्ट्र का राष्ट्रिक दूसरे संविदाकारी पक्षकार के भू-क्षेत्र में अपना पासपोर्ट खो देता है, तो वह मेजबान राष्ट्र में संबंधित राजनियक मिशन अथवा कोंसुल अपने राष्ट्रिक को नया पासपोर्ट तथा यात्रा दस्तावेज जार करेंगे और मेजबान देश के संबंधित प्राधिकारियों को सूचित करेंगे।

अनुच्छेद ४

पासपोर्ट की वैधता

दोनों में से किसी भी पक्षकार के राजनयिक, आधिकारिक अथवा सेवा पासपोर्टों की अविधि दूसरे संविदाकारी पक्षकार के देश के क्षेत्र में प्रवेश की तारीख से कम से कम 6 (छह) महीने के लिए वैध होनी चाहिए।

अनुच्छेद 5

स्थानीय/राष्ट्रीय कान्नों की प्रयोज्यता

- दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्षकार राष्ट्र के नागरिक, जिनके पास राजनियक,
 आधिकारिक अथवा सेवा पासपोर्ट हो, दूसरे संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र में ठहरने की सम्पूर्ण अविधि के दौरान उस राष्ट्र में लागू कानूनों का पालन करेंगे।
- 2. इस करार से 18 अप्रैल, 1961 के राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय अथवा 24 अप्रैल, 1963 के कोंसुली संबंधों पर वियना अभिसमय में निर्धारित अधिकारों तथा दायित्वों को प्रभावित किए जाने का आशय नहीं निकाला जाएगा।

W.

अन्च्छेद 6

यात्रा दस्तावेज

- 1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार वर्तमान करार पर हस्ताक्षर की तारीख के 30 (तीस) दिनों के भीतर राजनयिक माध्यम से अपने-अपने वैध राजनयिक, आधिकारिक तथा सेवा पासपोर्टी की नमूना प्रतियां प्रेषित करेगा।
- 2. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार राजनयिक माध्यम से अपने नए अथवा संशोधित पासपोर्टी की नमूना प्रतियों और उपयोग में लाए जा रहे दस्तावेजों का विस्तृत ब्यौरा, उन्हें लागू किए जाने से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले प्रेषित करेगा।

अनुच्छेद 7

निलंबन

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार सुरक्षा, लोक सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था या स्वास्थ्य संरक्षण के आधार पर इस करार को पूर्णत: अथवा अंशत: निलंबित कर सकता है। इस करार का निलंबन दूसरे संविदाकारी पक्षकार को राजनयिक माध्यमों से अधिसूचना भेजे जाने के 30 (तीस) दिनों के बाद प्रभावी होगा। यह निलंबन उन नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा जो पहले ही अन्य संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं।

अनुच्छेद ८

परिवर्तन तथा संशोधन

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्षकार राष्ट्र राजनयिक माध्यमों से इस करार में आंशिक अथवा पूर्ण संशोधन का अनुरोध कर सकता है। संविदाकारी पक्षकारों द्वारा सहमत किसी भी संशोधन को इस करार के अनुच्छेद 10 के पैरा 1 में प्रदत्त प्रक्रियाओं के अनुसार लागू किया जाएगा तथा वह इस करार का भाग होगा।

अनुच्छेद 9

विवाद समाधान

इस करार के प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा निर्वचन के क्रम में उत्पन्न किसी भी विवाद को तीसरे पक्ष अथवा अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण का आश्रय लिए बिना संविदाकारी पक्षकारों के बीच परामर्श अथवा बातचीत द्वारा निपटाया जाएगा।

अनुच्छेद 10

लागु किया जाना, अवधि तथा समाप्ति

 वर्तमान करार संविदाकारी पक्षकारों द्वारा राजनियक माध्यमों से उनकी आंतिरक कानूनी प्रक्रियाओं को इस करार को लागू करने के लिए सभी आंतिरक प्रक्रियाओं के पूरा होने पर अंतिम लिखित अधिसूचना की प्राप्ति के दिन से लागू होगा।



यह करार अनिश्चित काल तक लागू रहेगा और इसे दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्षकार द्वारा राजनियक माध्यम से सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है। यह करार ऐसी सूचना के प्राप्त होने के 90 (नब्बे) दिनों के बाद समाप्त होगा। इसके समाप्त किए जाने से उन राष्ट्रिकों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा, जो दूसरे संविदाकारी पक्षकार के भू-क्षेत्र में पहले ही प्रवेश कर चुके हैं।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकार द्वारा विधिवत प्राधिकृत होकर इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

23 सद्दें को <u>2017</u> में लात्विया, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की दो-दो मूल प्रतियों में सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक निर्वचन में किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की

मारकार की और से

नामः

पदनामः

लात्विया गणराज्य की

सरकार की और से

नोमः

पदनामः